न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.......प्रार्थी

बनाम

1. श्री अजय चौहान पुत्र श्री ताराचन्द जी, रेवा ऑटोमोबाईल, जवाहर नगर, अजमेर।

2. श्री संजय बागडी पुत्र श्री छोटूलाल, मकान संख्या 259/2, जवाहर नगर, अजमेर।

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

2. एस.के.भार्गव, शेखर सेन – अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश

दिनांक 06.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2017 को दोपहर 1:00 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम से जिला रसद कार्यालय, अजमेर के दूरभाष पर प्राप्त गैस रिफलिंग की सूचना पर प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य करते पाये पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	460529	BPCL	15.8 kg	24 0kg	8.2 kg	Domestic

एवं रिफिलिंग मशीन को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एवं वाहनों में रिफिलिंग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6, 7(1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर इण्डेन गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री अशोक कुमार को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मशीन को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.06.2017 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6, 7(1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी ने घरेलू आवश्यकता हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर अपने सर्विस सेन्टर पर लाकर रखा था, जिसे घरेलू आवश्यकता हेतु घर भिजवाना था। अप्रार्थी द्वारा दुकान में व्यवसायिक सिलेण्डर ही उपयोग किया जाता है घरेलू सिलेण्डर का उपयोग नही किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जरिये जवाब ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफलिंग के जरिये व्यवसायिक दुरूपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner